रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256568
CG-DL-E-22082024-256568

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946
No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

फा. सं. 20-10/2013-ए एंड ए.—एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (एएसके) भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है।

2. एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष ने सचिव (संस्कृति) को संबोधित अपने दिनांक 05.08.2024 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा बार-बार किए गए दुर्व्यवहार के कारण, महासचिव, कोषाध्यक्ष और परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से एक या दो को छोड़कर, जो विदेश में हैं, अन्य सभी निर्वाचित सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिए हैं। उन्होंने इन सदस्यों के सामूहिक त्यागपत्र को अग्रेषित कर दिया है, जिसमें इन सदस्यों ने एशियाटिक सोसाइटी की परिषद में न बने रहने का निर्णय लिया है और इसे नोट करने का अनुरोध किया है।

3. इसके अतिरिक्त, एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी में कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के अनियमित भुगतान और कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान पर पीएसी पैरा के निपटान के मामले में समय-समय पर जारी भारत सरकार के निर्देशों का लगातार उल्लंघन कर रही है।

4. एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 12(1) के अंतर्गत दिनांक 23.07.2020 के पत्र संख्या 20-5/2015-ए एंड ए (भाग) के तहत जारी केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में भी चूक की है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएसके के विभिन्न कार्यकलापों में बाधा न आए और संगठन के सुचारू संचालन के लिए, केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी, एतदद्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिन्हा, निदेशक, एएसके को एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 13 (2) के तहत एएसके के प्रशासक के रूप में नियुक्त करते हैं ताकि वे भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक सोसाइटी का प्रबंधन कार्य संभाल सकें।

लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024

F. No. 20-10/2013-A&A.—The Asiatic Society, Kolkata (ASK) is an Autonomous Institution under the Ministry of Culture, Government of India.

2. President, the Asiatic Society vide his letter dated 05.08.2024 addressed to Secretary (Culture) has informed that the General Secretary, the Treasurer and all other elected members of the Council of Asiatic Society , excepting one or two, who are abroad, have tendered their resignations due to frequent misbehaviour shown by a section of the employees. He has forwarded the en-masse resignation of these members in which these members have decided not to continue in the Council of Asiatic Society and requested to take note of it.

3. Further, the Asiatic Society, Kolkata has been continuously violating the instructions of Government of India issued from time to time in the matter of settlement of PAC paras on irregular payment of adhoc bonus and excess contribution to employees' provident fund to the employees in the Asiatic Society.

4. The Asiatic Society, Kolkata has also made default in giving effect to the directions of the Central Government issued vide letter No. 20-5/2015-A&A (Part) dated 23.07.2020 under Section 12(1) of the Asiatic Society Act, 1984.

5. Keeping in view the above and in order to ensure that various activities of ASK do not get stuck and for smooth functioning of the Organization, the Competent Authority in the Central Government, hereby, appoints Lt. Col. Anant Sinha, Director, ASK as Administrator of ASK under Section 13 (2) of the Asiatic Society Act, 1984, to take over the management of the Society for a period of two years from the date of notification in the Gazette of India or until further orders.

LILY PANDEYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.08.22 22:29:40 +05'30'